

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./34/2025/बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोडेंटगण

1. मालाराम पुत्र कासबाराम जाति विशनोई निवासी गोदावास कला तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा	1. मदन प्रजापत पुत्र जेठाराम जाति प्रजापत निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
2. किशनाराम पुत्र ठाकराराम जाति विशनोई निवासी कुड़ी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा	2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारक पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2020 बचनवान मदन प्रजापत बनाम मालाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.08.2020 के विरुद्ध पेश हुई।

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री जेदूलाल कुमावत रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांक:-05.06.2025


अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरदाता संख्या 01 वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया था कि मौजा मंडापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा के खसरा संख्या 1359/868 रकबा 01 बीघा अवस्थित रही है, जिसमें वादी संख्या 01 का 16/20 हिस्सा है, वादी अपना उक्त हिस्सा वादपत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित बरंग लाल मार्क ए, बी, सी, डी के दर्शाया गया है जो जरिये विभाजन बंटवारा करवाना चाहता है, वादी एवं प्रतिवादी विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। उक्त कृषि भूमि का अपासी सहमति से राजस्व अभिलेख व नक्शे में तरमीम किया हुआ नहीं है, प्रतिवादीगण का जमाबंदी में दर्ज अनुसार हिस्सा है। मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है परन्तु राजस्व रेकर्ड अलग-अलग हिस्से खुल्ले हुए नहीं है जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार पचपदरा से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जो सम्मन जारी किये वो मंडापुरा का निवास होना बताकर जारी किये और नोटिस लेने से इंकार करने का उल्लेख नोटिस की पुस्त पर किया गया है। हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ उस वक्त विश्व महामारी कोविड-19 का कुप्रभाव था। इस कारण राज्य सरकार, केन्द्र सरकार ने 20 मार्च 2020 से आमजन पर घर से बाहर निकलने में प्रतिबंध लगा दिया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोविड काल में परिपत्रों का घोर उल्लंघन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट खेतीहर कृषक अनपढ है जबकि वर्तमान प्रकरण के उत्तरदाता/वादी धनाढ्य व्यक्ति है तथा इस क्षेत्र का तत्समय विधायक भी रहा है। इस कारण भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा पर अनुचित दबाव भी था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया व सी पी सी के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अपीलांटगण रेकर्डेड खातेदार होने से उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अपीलांटगण को उक्त वाद में वादीगण के गवाह के जिरह करने व स्वयं के साक्ष्य सबूत पेश करने बाबत सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना न्यायोचित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।


(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइमेर

वकील रेस्पोंडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांतगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। हिस्सों को लेकर अपीलांतगण द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलांतस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी में वर्णित समस्त संयुक्त खातेदारों के हिस्सों को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांत की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांत ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अपीलांतगण आज से 07 दिन पूर्व मौके पर आये तो देखा कि मौके पर अकृषि कार्य रेस्पोंडेंट ने कर दिया, जिस पर इस संबंध में रेस्पोंडेंट को कारण पूछा तो रेस्पोंडेंट ने कहा कि मैंने भूमि का मनचाहा बंटवारा भी करवा दिया है व माफिक बंटवारा मुख्य सड़क पर सम्पूर्ण हिस्सा मैंने मेरे नाम से रखवा कर रेकर्ड में अमल दरामद भी करवा दिया है। जिस पर तहकीकात की तो अपीलांतगण को ज्ञात हुआ कि गलत तथ्य बताकर अपीलांतगण को मौजा मंडापुरा का निवासी बताकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री जारी करवा दी है। जिस पर प्रतिलिपि अधीनस्थ में दिनांक 10.02.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर चाही जो अपीलांतगण के पुत्र मदनलाल को प्राप्त हुई तथा नकल प्राप्त होने पर अपीलांतगण को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने मियाद अधिनियम के बिंदु पर अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांतस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांत द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक-एक दिन का हिसाब अपीलांत द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावे।


उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की लिमिटेशन के बिंदु पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर


के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण के नाम से सम्मन जारी किये गये जो अपीलांटगण से विधिवत तामील करवाये गये जो पर्याप्त तामील की श्रेणी में आते हैं। अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर विधि तामील होने के बावजूद जानबूझकर अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन हिस्सों को लेकर अपीलांटस द्वारा किसी भी प्रकार का उजर ऐतराज नहीं किया गया जबकि प्राथमिक डिक्री में हिस्सों की ही घोषणा की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बाद समुचित सुनवाई के पश्चात पारित की गई। मातहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में सभी पक्षकारों के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सों की घोषणा की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2020 बउनवान मदन प्रजापत बनाम मालाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.08.2020 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।


5/6/2025
(नवनीत नारायण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


5/6/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
(नवनीत नारायण)
बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर